



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032021-225633
CG-DL-E-04032021-225633

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 922]
No. 922]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 2, 2021/फाल्गुन 11, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 2, 2021/PHALGUNA 11, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2021

का.आ. 996(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के श्री गंगानगर जिले में NH 754K के कि.मी. 61.467 से कि.मी.81.688 (सूरतगढ़) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप खण्ड अधिकारी सूरतगढ़ को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के श्री गंगानगर जिले में NH 754K के कि.मी. 61.467 से कि.मी.81.688 (सूरतगढ़) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान		जिले का नाम: श्री गंगानगर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: सूरतगढ़					
गांव का नाम: 11 एसपीडी-ए					
1	20//13	निजी	कमाण्ड	0.0431000 (हेक्टेयर)	0.0431000
2	20//14	निजी	कमाण्ड	0.0046000 (हेक्टेयर)	0.0046000
गांव का नाम: 2 बीएचएम					
1	1//5	निजी	कमाण्ड	0.0034000 (हेक्टेयर)	0.0034000
2	1//7	निजी	कमाण्ड	0.1526000 (हेक्टेयर)	0.1526000
3	1//8	निजी	कमाण्ड	0.0255000 (हेक्टेयर)	0.0255000
गांव का नाम: 1 के.एन.डी.					
1	23//20	निजी	अनकमाण्ड	0.0005000 (हेक्टेयर)	0.0005000
2	26//19	निजी	अनकमाण्ड	0.0060000 (हेक्टेयर)	0.0060000
3	68//22/2	निजी	कमाण्ड	0.1930000 (हेक्टेयर)	0.1930000
4	8//2	सरकारी	अनकमाण्ड	0.0109000 (हेक्टेयर)	0.0109000

गांव का नाम: 10 एस.पी.डी.					
1	24//24	निजी	कमाण्ड	0.0010000 (हेक्टेयर)	0.0010000
2	24//25/2	निजी	कमाण्ड	0.0136000 (हेक्टेयर)	0.0136000
गांव का नाम: 2 बीएचएम-ए					
1	11//25	निजी	कमाण्ड	0.0104000 (हेक्टेयर)	0.0104000
2	12//24/2	निजी	कमाण्ड	0.0244000 (हेक्टेयर)	0.0244000
गांव का नाम: 3 टी.टी.डी. 'ए'					
1	106//22/2	निजी	कमाण्ड	0.1017000 (हेक्टेयर)	0.1017000
2	94//13	निजी	अनकमाण्ड	0.0144000 (हेक्टेयर)	0.0144000
गांव का नाम: चाहुडसर					
1	415	निजी	बारानी-II	0.0747000 (हेक्टेयर)	0.0747000
गांव का नाम: एटा-II					
1	209	निजी	बारानी	0.0278000 (हेक्टेयर)	0.0278000
2	274	निजी	बारानी	0.0663000 (हेक्टेयर)	0.0663000
3	621/274	निजी	बारानी	0.0672000 (हेक्टेयर)	0.0672000
गांव का नाम: गोसाईंसर					
1	565/39	निजी	बारानी	0.1335000 (हेक्टेयर)	0.1335000
गांव का नाम: कालूसर					
1	370/117/5,371/117/5,372/117/5,373/117/5,374/117/5,375/117/5	निजी	बारानी	0.2360000 (हेक्टेयर)	0.2360000

गांव का नाम: सांवलसर					
1	527	सरकारी	गै मु रास्ता	0.0782000 (हेक्टेयर)	0.0782000
गांव का नाम: सरदारपुरा खर्था					
1	203/1	निजी	बारानी	0.0350000 (हेक्टेयर)	0.0350000
2	205/1	निजी	बारानी	0.0180000 (हेक्टेयर)	0.0180000
गांव का नाम: ठेठार					
1	192	निजी	बारानी	0.0257000 (हेक्टेयर)	0.0257000
कुल				1.3675	1.3675

[फा. सं. NHAI/PIU-JDH/BM/AJEC-RAJ/2018/LA/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2021

S.O. 996(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH 754K in the stretch of land from Km 61.467 to Km.81.688 (Suratgarh) in the district of Shri Ganganagar in the state of RAJASTHAN, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub-Divisional Officer Suratgarh in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH 754K in the stretch of land from 61.467 to Km.81.688 (Suratgarh) in the district of Shri Ganganagar in the state of RAJASTHAN.

State: RAJASTHAN		District: Shri Ganganagar			
Sl.No	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Suratgarh					
Village: 11 SPD-A					
1	20//13	Private	Camand	0.0431000 (Hectare)	0.0431000
2	20//14	Private	Camand	0.0046000 (Hectare)	0.0046000
Village: 2 BHM					
1	1//5	Private	Camand	0.0034000 (Hectare)	0.0034000
2	1//7	Private	Camand	0.1526000 (Hectare)	0.1526000
3	1//8	Private	Camand	0.0255000 (Hectare)	0.0255000
Village: 1 Knd					
1	23//20	Private	Uncamand	0.0005000 (Hectare)	0.0005000
2	26//19	Private	Uncamand	0.0060000 (Hectare)	0.0060000
3	68//22/2	Private	Camand	0.1930000 (Hectare)	0.1930000
4	8//2	Government	Uncamand	0.0109000 (Hectare)	0.0109000
Village: 10 SPD					
1	24//24	Private	Camand	0.0010000 (Hectare)	0.0010000
2	24//25/2	Private	Camand	0.0136000 (Hectare)	0.0136000
Village: 2 BHM-A					
1	11//25	Private	Camand	0.0104000 (Hectare)	0.0104000
2	12//24/2	Private	Camand	0.0244000 (Hectare)	0.0244000
Village: 3 TTD A					
1	106//22/2	Private	Camand	0.1017000 (Hectare)	0.1017000

2	94//13	Private	Uncamand	0.0144000 (Hectare)	0.0144000
Village: Chaharsar					
1	415	Private	Barani-II	0.0747000 (Hectare)	0.0747000
Village: ETA-II					
1	209	Private	Barani	0.0278000 (Hectare)	0.0278000
2	274	Private	Barani	0.0663000 (Hectare)	0.0663000
3	621/274	Private	Barani	0.0672000 (Hectare)	0.0672000
Village: Gusainsar					
1	565/39	Private	Barani	0.1335000 (Hectare)	0.1335000
Village: Kaloosar					
1	370/117/5,371/117/5,372/117/5,373/117/5,374/117/5,375/117/5	Private	Barani	0.2360000 (Hectare)	0.2360000
Village: Sanwalsar					
1	527	Government	G.M. Road	0.0782000 (Hectare)	0.0782000
Village: Sardarpura Khartha					
1	203/1	Private	Barani	0.0350000 (Hectare)	0.0350000
2	205/1	Private	Barani	0.0180000 (Hectare)	0.0180000
Village: Thethar					
1	192	Private	Barani	0.0257000 (Hectare)	0.0257000
Total				1.3675	1.3675

[F. No. NHA/PIU-JDH/BM/AJEC-RAJ/2018/LA/3A]

RAJESH GUPTA, Director